न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 19 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. फारूख पुत्र लियाकत 2. हारूण पुत्र लियाकत जाति मुसलमान निवासी साबु का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर।	बनाम	1.काजी पुत्र इनायत 2.आबास पुत्र इनायत 3.मुस्मात हकीमो बेवा इनायत 4.सखी पुत्र इब्राहम 5.मुराद पुत्र इब्राहम 6.हमीद पुत्र इब्राहम जाति मुसलमान निवासी साबु का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर। 7.तहसीलदार रामसर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 121 / 2012 बअनवान फारूख बनाम काजी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हसन खां अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रवीण चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत साबु का पार तहसील रामसर में प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 266 / 198 आया है जिसके उत्तर में विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 265 / 198 आया है तथा प्रार्थीगण के दक्षिण में विप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 199 आया है। विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 ने अपने खेत खसरा संख्या 265 / 198 तक पहुंचने के लिए प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 266 / 198 में से होकर आवागमन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा ने आसामी स्वयं घर पर नहीं मिला उसका नोटिस उसके आबाद मकान पर निम्न मोतबिरान के रूबरू चस्पा किया गया इस तस्दीक के नीचे सिवाय तामिल कुनिन्दा के अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं है। नोटिस परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को भी दिया जा सकता था परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ है नोटिस किस तारीख को आया उसने तामील कार्यवाही किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीख व समय पर की कुछ भी अंकन नहीं है इस प्रक्रिया की आदेश 05 नियम 17 से 19 के प्रावधानों को अपनाये बिना अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौको फर्द के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है वो बिना अपीलांटस की जानकारी में लाये पटवारी हल्का सजन का पार ने तैयार किया तथा तहसीलदार रामसर ने प्रति हस्ताक्षर कर न्यायायल में पेश किया गया। अपीलाधीन आदेश आंख बंद कर न्यायिक प्रक्रिया एवं सीपीसी के प्रावधानों को अपनाये बिना विधि के सिद्धान्तों के अपनाये पारित किया गया है। जो काबिल निरस्त है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर अपीलाधीन आलोच्य एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा ने आसामी स्वयं घर पर नहीं मिला उसका नोटिस उसके आबाद मकान पर निम्न मोतबिरान के रूबरू चस्पा किया गया इस तस्दीक के नीचे सिवाय तामिल कुनिन्दा के अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं है। नोटिस परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को भी दिया जा सकता था परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ है नोटिस किस तारीख को आया उसने तामील कार्यवाही किसी तारीख व समय पर की कुछ भी अंकन नहीं है इस प्रक्रिया की आदेश 05 नियम 17 से 19 के प्रावधानों को अपनाये बिना अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौको फर्द के आधार पर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है वो बिना अपीलांटस की जानकारी में लाये पटवारी हल्का सजन का पार ने तैयार किया तथा तहसीलदार रामसर ने प्रति हस्ताक्षर कर न्यायायल में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2012 को आदेश 09 नियम 07 व 13 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर अंतरिम स्थगन पारित गया। प्रस्तावित रास्ते से अपीलांटस के खेत को दो टुकड़ो में विभक्त कर रहा है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास रास्ते का विकल्प मौजूद है फिर भी अधीनस्थ नयायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश आंख बंद कर न्यायिक प्रक्रिया एवं सीपीसी के प्रावधानों को अपनाये बिना विधि के सिद्धान्तों के अपनाये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। सी पी सी के नियम 09 (13) 07 डिक्री के इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। अपीलांट द्वारा मूल निर्णय की अपील नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन दो मौतबिरान के रूबरू रोशन एवं मुहीब के समक्ष आबाद मकान पर चस्पा कर तामील पूर्ण करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका फर्द पर पारित किया गया है जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक मौका फर्द बना सकता है ऐसे कई न्यायिक दृष्टांत भी आये है। प्रस्तावित रास्ते पर नरेगा के तहत सड़क बन गयी है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते का आदेश रेस्पोडेंट/प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया गया है जिसमें तहसीलदार स्वयं ने मौके मुआयना नहीं कर केवल भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका फर्द पर प्रति हस्ताक्षर किये है। अपीलाधीन आलोच्य आदेश से अपीलांट खातेदार की जोत को दो टुकड़ों में विभक्त किया गया है जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है। अपीलाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क प्रावधानों के अनुसार पारित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ते के मूल आदेश के विरूद्ध न्यायालय में अपील पेश नहीं करने के कारण अपीलांट को न्याय से वंचित करना विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट के प्राकृतिक न्याय के अधिकारों को तकनीकी बिंदुओं पर खारिज किया जाता है तो अपीलांटगण न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे। इसलिए न्यायहित में अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। रेस्पोडेंट द्वारा किये गये तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 121/2012 बअनवान फारूख बनाम काजी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 एवं राजस्व आवेदन संख्या 75/2012 बअनवान काजी वगै. बनाम फारूख वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.10.

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

2012 को अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तहसीलदार स्वयं से उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका मुआयना करवाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

03/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner